प्रदर्श–"स"

प्रमाण पत्र

मेसर्स जल संसाधन विभाग की बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु बलरामपुर जिला में बुधुडीह वनमण्डल के गांव के वन भूमि व्यववर्तन हेतु 4.67 हे0 वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 में नियम सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वनभूमि 4.67 हे0 एवं/राजस्व वन भूमि निरंक हे0 जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम बुधुडीह तहसील बलरामपुर में स्थित है में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।
   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें प्रस्ताव दिनांक 10.12.2014 (प्रदर्श–"अ") एवं वन तभा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–"ब") पर प्रदर्शित है।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव श्रीमती सुधनी टोप्पो ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती लक्ष्मी नारायण पैकरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक .. 10.12.2014 रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें 100% प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति हैं।

   अथवा

   प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है :–

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1.	बुधुडीह	—	—

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्युनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।
   यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10.12.2014 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समुह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम "2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।
4. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनों .... दिनांक 10.12.2014 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

कार्यपालन अभियंता
जल संसाधन संभाग क्र. 02 रामानुजगंज
जिला बलरामपुर - रामानुजगंज (छ.ग.)

नाम ( )
कलेक्टर एवं
अध्क्ष जिला वन अधिकार समिति
जिला ....
सील

कलेक्टर
बलरामपुर-रा.गंज (छ.ग.)